न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजू मीणा)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 40/2019

1. दूदा दत्तक पुत्र श्री लादू गुर्जर जाति गुर्जर निवासी नीमेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. देवकरण पुत्र श्री हाथी
2. उमा पत्नि श्री देवकरण
3. सेवाराम पुत्र श्री दवेकरण
4. छोटी पत्नि श्री हीरा
5. कालू पुत्र श्री हीरा
6. सावंरा पुत्र श्री हीरा समस्त जाति गुर्जर निवासीगण नीमेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब भिनाय (अजमेर)
8. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

9. कंकू पुत्री श्री गंभीरा
10. लादी पत्नि श्री गंभीरा
11. रामचन्द्र पुत्र श्री गंभीरा
12. भागचन्द पुत्र श्री गंभीरा
13. लाडू पुत्री श्री गंभीरा
14. गोपाल पुत्र श्री मूला
15. बाली पत्नि श्री भोमा
16. सांवरा पुत्र श्री भोमा
17. हनुमान पुत्र श्री भोमा
18. शैतान पुत्र श्री भोमा
19. प्रधान पुत्र श्री भोमा
20. प्रेम पुत्री श्री भोमा
21. गंगा पुत्री श्री भोमा
22. रामदेव पुत्र श्री मूला
23. हंजा पत्नि श्री मूला
24. जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र
25. झमकू पत्नि श्री गोकल
26. रूघा पुत्र श्री मोडा
27. सुखदेव पुत्र श्री धूला
28. छोटू पुत्र श्री हजारी
29. बरदा पुत्र श्री हजारी
30. भागु पुत्र श्री हजारी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

31. सायर पुत्र श्री हजारी
32. गोपाल पुत्र श्री काना
33. सायरी पत्नि श्री दूदा
34. जीवराज पुत्र श्री दूदा
35. सेवा पुत्र श्री दूदा
36. हंसराज पुत्र श्री दूदा
37. देशराज पुत्र श्री दूदा
38. उदा दत्तक पुत्र श्री गिरधारी
39. हजारी पुत्र श्री पांचू
40. कमला पुत्री श्री नारायण
41. गुलाबी पुत्री श्री लादू
42. गोपाल पुत्र श्री लादू
43. घीसू पुत्र श्री सोजी
44. जिया पुत्री श्री हीरा
45. जीवराज पुत्र श्री नाथू
46. रूकमा पत्नि श्री सोजी
47. लाली पुत्री श्री सोजी
48. श्रवणी पत्नि लादू
49. भागचन्द पुत्र श्री गोपाल तमाम जाति गुर्जर निवासी नीमेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
50. छेह पत्नि श्री घीसू
51. पुष्पा पत्नि श्री घीसू
52. महावीर पुत्र श्री घीसू
53. रामलाल पुत्र श्री घीसू तमाम जाति ब्राह्मण निवासी नीमेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
54. महावीर पुत्र पोलू
55. रूघा पुत्र श्री पोलू
56. घीसालाल पुत्र श्री पोलू
57. छोटू पुत्र श्री रामा
58. मूली पत्नि रामा तमाम जाति दरोगा निवासी नीमेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवदेन किया हैं कि ग्राम नीमेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी साबिक खसरा नं. 712 रकबा 0.04 किस्म गै.मु. चाह में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का 1/8 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 4 लगायत 6 का 1/8 हिस्सा निहित हैं। इसी प्रकार खाता सं. 123 में दर्ज खसरा नं. 1410 रकबा 0.06, 1458 रकबा 0.19, 1916 रकबा 0.38, 589 रकबा 0.05, 590 रकबा 0.28, 659 रकबा 0.50 667 रकबा 0.11, 706 रकबा 0.76, 707 रकबा 0.31, 741 रकबा 0.34, 756 रकबा 0.17, 757 रकबा 0.21 किता 12 रकबा 3.36 हैं0 भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 4 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा निहित हैं। इसी प्रकार खसरा

उपखण्ड अधिकारी

नं. 1469 रकबा 0.04 किस्म गै.मु. डोरी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/13 हिस्सा हैं। इसी प्रकार खसरा नं. 585 रकबा 1.22 किस्म बारानी–1 व 856रकबा 0.45 किस्म बारानी–1 किता–2 रकबा 1.67 हैं0 भूमि में प्रार्थी का 1/4, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का 1/8 एवं अपार्थी सं. 4 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/24 हिस्सा निहित हैं। साथ ही ग्राम गनाहेडा स्थित आराजी खाता सं. 90 में दर्ज खसरा नं. 502 रकबा 0.24, 521 रकबा 0.04, 536 रकबा 0'.08, 537 रकबा 0.03, 538 रकबा 0.09, 544 रकबा 0.07, 545 रकबा 0.01 किता 7 रकबा 0.56 हैं0 भूमि पर प्रार्थी का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का 1/12 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 4 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/36 हिस्सा हैं। इसी प्रकार खसरा नं. 524/1741 रकबा 0.28 में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 4 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा हैं। इसी प्रकार खाता सं. 88 में दर्ज खसरा नं. 529 रकबा 0.10, 547 रकबा 0.37, 548 रकबा 0.05, 549 रकबा 0.79, 555 रकबा 0.42, 556 रकबा 1. 11, 557 रकबा 0.37, 558 रकबा 0.35, 559 रकबा 3.04, 560 रकबा 0.36, 563 रकबा 0.40, 564 रकबा 0.42, 565 रकबा 0.39, 566 रकबा 0.38, 570 रकबा 0.03, 571 रकबा 0.27, 572 रकबा 0. 34 किता 17 रकबा 9.19 हैं0 भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/30 हिस्सा हैं। इसी प्रकार खसरा नं. 271 रकबा 0.01 किस्म जाव उत्तम व 272 रकबा 0.52 किस्म बारानी–3 किता–2 रकबा 0.53 हैं0 भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा हैं। इसी प्रकार खाता सं. 89 में दर्ज खसरा नं. 312 रकबा 0.21, 319 रकबा 0.12, 320 रकबा 0.12, 323 रकबा 0.22 किता–4 रकबा 0.67 है0 भूमि में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का 3/16 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 4 लगायत 6 का 3/16 हिस्सा निहित हैं। जिस पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहें जिन पर अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक एवं अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना में बताया कि प्रार्थी के दत्तक पिता लादूराम का स्वर्गवास 20.02.2018 को हो चुका हैं। प्रार्थी के दत्तक पति लादूराम के कोई जायन्दा संतान नहीं थी तथा उन्होने प्रार्थी को बाल्यावस्था में ही अपनी सेवा सुश्रुषा के लिए सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार गोद समारोह आयोजित कर सभी रिष्तेदारान एवं परिवारजन के समक्ष प्रार्थी कोगोद में बिठाकर गोद ले लिया था तथा इस आशय का शपथ पत्र भी श्री लादूराम पुत्र श्री छीतर गुर्जर ने तहरीर व तकमील करवाया था। उक्त गोदनामा के आधार पर ही प्रार्थी ने अपने दत्तक पिता की सेवा सुश्रुषा की। प्रार्थी को बाल्यावस्था में उसके दत्तक पिता श्री लादूराम द्वारा गोद लिये जाने के पश्चात् से ही प्रार्थी ही उनके हिस्से की आराजीयात को काश्त करता चला आ रहा हैं एवं इसी अनुसार समस्त वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण 9 लगायत 58 उनके हिस्से अनुसार संयुक्त काबिज काश्त चले आ रहें हैं तथा फसल प्राप्त करते चले आ रहे हैं। चूंकि वाद वर्णित आराजीयात संयुक्त कब्जे काश्त आधिपत्य की आराजीयात हैं अतः उक्त आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण सं. 9 लगायत 58 का हक हिस्सा एवं अधिकार है। लेकिन अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 प्रार्थी को संयुक्त काश्तकारी आराजीयात में से बेदखल करने एवं वादग्रस्त आराजीयात को बिना विधिक बंटवारा किसी अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान/हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रहें है। जिस कारण प्रार्थी को न्यायालय की शरण लेना लाजमी आया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन न्यायालय में तलब किया गया । अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण सं. 9 लगायत 58 नोटिस तामीली बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने की स्थिति में दिनांक 12.09.2019 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के संदर्भ में जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। बहस उभय पक्षान सनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना में लिखित कथन दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया। पैरोकार सरकार ने वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि संयुक्त आराजीयात होना स्वीकारते हुए कथन किए कि वारिसनामा संबंधी तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध कर ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होना बताया। बहस उभयपक्षान पर मनन एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त रूप से अविभाजित आराजीयात हैं एवं पत्रावली के सन्दर्भ में अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण 9 लगायत 58 ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे वर्तमान स्थिति में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता हैं एवं ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जाता हैं तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूरी–पूरी संभावना होना पाया गया।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थना पत्र में उपवर्णित आराजीयात ग्राम नीमेडा एवं गनाहेडा तहसील भिनाय पर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करेंगें एवं न ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से कराने का प्रयास करेगें। आदेश की पालना के संदर्भ में तहसीलदार भिनाय को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18.10.2019 को सुनाया गया।

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.18 14:50:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: